रजिस्ट्री सं० डी-222

REGISTERED No. D-222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 35] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 30, 1969 (भाद्र 8, 1891)

No. 35] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 30, 1969 (BHADRA 8, 1891)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

नोटिस

(NOTICE)

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 29 जुलाई 1969 तक प्रकाशित किये गये हैं :—

The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published up to the 29th July 1969 :

अंक संख्या और तिथि (Issue No.) (No. and Date)	द्वारा जारी किया गया (Issued by)	विषय (Subject)
3. Bi, 14/7/69-Pub. I dt. 29-7-69	Min. of Home Affairs.	Vacating of Office of Minister in the Council of Ministries of the President by Sh. Morarjiranchhodji Desai.
[सं० 14/7/69-पब्लिक-I दिनांक 29 जुलाई 1969	गृह मंत्रालय	श्री मोरारजी रन छोड़जी देसाई का राष्ट्रपति की मंत्रि परिषद में स्थान रिक्त करना ।
105. No. 114-ITC/(PN)/69, dt. 9-7-69	Min. of Foreign Trade & Supply.	Import Policy for the period April/69—March/70.
No. 115-ITC/(PN)/69, dt. 9-7-69	Do.	Canadian Non-Project Loan of 15·0 Million.
106. No. 1/3/68-Ad.C dt. 9-7-69	Do.	Advisory council on Trade.
सं० 1/3/68-सलाहकार परिषद (एड० सी०) दिनांक 9 जुलाई 1969	विदेशी व्यापार तथा आपूर्ति मंत्रालय	व्यापार सलाहकार परिषद ।
107. No. 116-ITC/(PN)69,	Min. of Foreign Trade & Supply.	Import of tractors by agriculturists as gift.
No. 117-ITC(PN)/69, dt. 10-7-69	Do.	Import Policy for Registered Exporters for the year April 69—March/70 (Amendment No. 20).
No. 118-ITC(PN)/69, dt. 10-7-69	Do.	Import Policy for Regd. Exporters for the year April/69—March/70 (Amendment No. 21).
No. 119-ITC(PN)/69 dt. 10-7-69	Do.	Import Policy for Regd. Exporters for the year April/69—March/69 (Amendment No. 22).
108. No. 120-ITC(PN)/69, dt. 17-7-69	Do.	Import Policy for Regd. Exporters for the year April—69 March/70 (Amendment No. 23).
No. 121-ITC(PN)/69, dt. 17 7-69	Do.	Import of "Dates" (S. No. 21(6)/IV from Iraq during Oct. 1968—Sept. 1969 licensing period on annual basis.
109. No. 97-ITC(PN)/69, dt 19-7-69	Do.	Licensing conditions governing imports under EXIM V Line of credit.
110. No. 31/7/68-LRIV, dt. 19-7-69	Min. of Labour, Employment & Reh.	Appointment of a committee for automation.
सं० 31/7/68-एल०आर० 4 दिनांक 19 जुलाई 1969	श्रम रोजगार और पुर्नवास मंत्रालय	स्वायचालित मशीनों के लगाने के लिये एक समिति की स्थापना ।
111. No. 4(18)-Tex(D)/68 dated 21st July 1969	Ministry of Foreign Trade and Supply	Constitution of a committee to suggest changes necessary to ensure orderly and stable marketing of raw jute.
सं० 1(18)-टैक्स (डी०) दिनांक 21 जुलाई 1969	विदेशी व्यापार तथा आपूर्ति मंत्रालय	कच्चे पटसन का विपणन सुव्यवस्थित तथा बिक्री और ऐसे परिवर्तन के सुझाव के लिये ऐक समिति का गठन करना ।

अंक Issue No.	संख्या और तिथि No. and Date	द्वारा जारी किया Issued by	विषय Subject
112.	No. 122-ITC(PN)/69 dated 22nd July 1969	Ministry of Foreign Trade and Supply	Import of Dates [S.No. 21(b)/IV] from Saudi Arabia, Muscat and other Persian Gulf Ports excluding Iran and Iraq, during October 1968—September, 1969 on annual basis.
113.	No. 123-ITC(PN)/69 dated 23rd July 1969	Do.	Import policy for Registered Exporters—Acceptance of the date of physical shipment of exports by V.P.P. for claiming replenishment.
114.	No. LEI(A)-16(2)/68 dated 25th July 1969	Ministry of Industrial Development Internal Trade and Company Affairs.	Recommendations of the Tariff Commission on the price Structure of catguts.
	सं० एल० ई० आई० (ए०) 16(2)/68 दिनांक 25 जुलाई, 1969	औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्रालय	प्रशुल्क आयोग ने तांतों के मूल्य ढांचे पर सिफारिशें दी
115.	No. 5(11)-Tex(D)/67 dated 28th July 1969	Ministry of Foreign Trade and Supply	Setting up a Jute Textiles Consultative Council
	स० 5(11)-टैक्स (डी०)/67 दिनांक 28 जुलाई 1969	विदेशी व्यापार तथा आपूर्ति मंत्रालय	एक पटसन वस्त्र सलाहकार परिषद् गठन करना
116.	No. 124-ITC(PN)/69 dated 29th July 1969	Ministry of Foreign Trade and Supply	Import Policy for Registered Exporters for the year April 1969—March 1970 (Amendment No. 24)
	No. 125-ITC(PN)/69 dated 29th July 1969	Do.	Import Policy for Registered Exporters for the year April 1969—March 1970 (Amendment No. 25)

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां प्रकाशन प्रबन्धक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांग-पत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी। मांग-पत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तारीख से दस दिन के भीतर पहुँच जाने चाहिएं।

Copies of the *Gazette Extraordinary* mentioned above will be supplied on Indent to the Manager of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of issue of these Gazettes.

विषय-सूची (CONTENTS)

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . . .	631
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . . .	977
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . . .	57
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . . .	837
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों सम्बन्धी प्रवर समितियों की रिपोर्ट	—
भाग II—खंड 3—उप-खंड (1)—(रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्र के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनम साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)	2743
भाग II—खंड 3—उप-खंड (2)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं	3633
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	409
भाग III—खंड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक-सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संलग्न तथा अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं .	815
भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिसें .	307
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं .	91
भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिसें शामिल हैं .	501
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिसें . .	163
पूरक संख्या 34—	
16 अगस्त 1969 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी सम्बन्धी साप्ताहिक रिपोर्ट	1453
26 जुलाई 1969 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म, तथा बड़ी बीमारियों से हुई मृत्यु से सम्बन्धित आंकड़ें .	14

विषय-सूची (CONTENTS)

	Page
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	631
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	977
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	57
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	837
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules, (including orders, bye-laws, etc., of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	2743
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	3633
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ..	409
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	815
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta..	515
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	91
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	497
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	157
SUPPLEMENT No. 34—	
Weekly Epidemiological Reports for week-ending 16th August 1969	1453
Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week-ending 26th July 1969	1463

भाग I खण्ड 1

(PART I—SECTION 1)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court

समाज कल्याण विभाग

नई दिल्ली-1, दिनांक 30 जून 1969

संकल्प

सं० 22/16/69-एम० डब्ल्यू०-5—समाज कल्याण विभाग में सलाहकार, श्री एम० सी० नानावती, को उप सचिव, श्री बी० एस० रामधाम के स्थान पर केन्द्रीय मद्यनिषेध समिति जिसका गठन इस विभाग के दिनांक 17 सितम्बर, 1968 के संख्या 5/2/67-प्रो० सैल (एम० डब्ल्यू०-5) द्वारा किया गया, का सदस्य-सचिव नियुक्त करने का निश्चय किया गया है ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प समिति के सब सदस्यों, योजना आयोग, मंत्री परिषद् सचिवालय, प्रधान मंत्री सचिवालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, संसदीय मामलों के विभाग, अखिल भारतीय मद्यनिषेध (नशाबंदी) परिषद और सब राज्य सरकारों/संघ क्षेत्रों के मुख्य सचिवों के पास भेज दिया जाये । यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प आम जानकारी के लिये भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये ।

एन० एच० रामकृष्णन, अवर सचिव

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय

(सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 16 अगस्त 1969

संकल्प

सं० 4-23/69-यू० टी० बी० एण्ड सी०—भारत सरकार, खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय (सहकारिता विभाग) के संकल्प सं० 5-67/66-यू० टी० बी० एण्ड सी० दिनांक 16-11-1966 में सहकारी विकास से सम्बन्धित नीतियों के निर्माण तथा कार्यान्वियन के बारे में भारत सरकार को सलाह देने के लिए 2 वर्षों के कार्यकाल के लिए एक सलाहकार समिति गठित की गई थी । इस कार्यकाल के समाप्त हो जाने पर भारत सरकार ने इस समिति का पुनर्गठन करने का निर्णय किया है, जिसमें निम्न लिखित सदस्य होंगे :—

अध्यक्ष

1. खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में सहकारिता के प्रभारी राज्य मंत्री ।

सदस्य

2. श्री वी० बंकटापैया, सदस्य,
आयोजना आयोग (कृषि),
आयोजना आयोग, नई दिल्ली ।

3. डा० अशोक मित्रा, अध्यक्ष,
कृषि मूल्य आयोग,
कृषि भवन, नई दिल्ली ।

4. श्री वी० कुरीन, महाप्रबन्धक,
कैरा डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लि० आनन्द, गुजरात ।

5. अध्यक्ष,
भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ,
72, जोरबाग, नई दिल्ली ।

6. अध्यक्ष,
राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लि०,
डी-44, साऊथ एक्सटेंशन पार्ट 2,
नई दिल्ली-49 ।

7. अध्यक्ष,
आल इण्डिया स्टेट कोआपरेटिव बैंक्स फेडरेशन लि०,
गारमेन्ट हाऊस,
दूसरा तल, डा० ऐनी बेसेंट रोड,
वारली नाका, बम्बई-18 ।

8. अध्यक्ष,
आल इण्डिया सेंट्रल लैण्ड डवेलपमेन्ट बैंक्स कोआपरेटिव यूनियन लि०,
गारमेंट हाऊस, दूसरा तल,
डा० ऐनी बेसेंट रोड, वारली नाका,
बम्बई-18 ।

9. अध्यक्ष,
नेशनल फेडरेशन आफ कज्यूमर्स कोआपरेटिवस,
25 रिंग रोड, लाजपत नगर-4,
नई दिल्ली-24 ।

10. अध्यक्ष,
नेशनल फेडरेशन आफ कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज,
34, साऊथ पटेल नगर, नई दिल्ली ।

11. अध्यक्ष,
आल इण्डिया फैडरेशन आफ इंडस्ट्रीयल कोआपरेटिव्स,
ए-26, साऊथ एक्सटेंशन पार्ट-2, नई दिल्ली-49 ।

12. अध्यक्ष,
आल इण्डिया फेडरेशन आफ कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लि०, पाचवां तल,
जहांगीर बिल्डिंग 133, महात्मा गांधी रोड,
बम्बई विश्वविद्यालय के सामने,
बम्बई-1 (बी० आर०)

13. अध्यक्ष,
आल इण्डिया हैण्डलूम फैबरिक्स मार्केटिंग कोआपरेटिव सोसायटी लि०,
जन्म भूमि चैम्बर्स,
फोर्ट सेंट, बम्बई ।

14. डा० संकट प्रसाद,
सदस्य, लोक सभा,
132, साऊथ ऐवेन्यू,
नई दिल्ली-11 ।

15. श्री सी० डी० गौतम,
सदस्य, लोक सभा,
103, नार्थ ऐवन्यू, नई दिल्ली ।

16. श्री एस० बी० बोबडे,
सदस्य, राज्य सभा,
22 नार्थ एवेन्यू, नई दिल्ली-1 ।

17. श्री एल० सी० जैन,
महा सचिव,
इण्डियन कोआपरेटिव यूनियन,
ए० आइ० एफ० ए० सी० एस० बिल्डिंग,
रफी मार्ग, नई दिल्ली ।

18. श्री एस० के० डे०,
नं०, 5 लाजपत नगर,
एन० एच० रिंग रोड, विक्रम होटल के समीप, नई दिल्ली ।

19. श्री मथुरा प्रसाद सिंह, अध्यक्ष,
बिहार स्टेट कोआपरेटिव बैंक लि०, पटना-4 ।

20. श्री ए० एस० पाटिल,
अध्यक्ष,
मैसूर स्टेट कोआपरेटिव यूनियन लि०,
32 शान्ति कुटीर,
रेसकोर्स रोड, बंगलौर ।

2. समिति के विचारणीय विषय निम्नलिखत होंगे:—

(1) देश में सहकारी विकास से सम्बन्धित व्यापक नीति विषयक मामलों के बारे में सरकार को सलाह देना;

(2) सहकारी विकास से सम्बन्धित नीतियों के कार्यान्वयन में संघ शीर्ष संस्थाओं की भूमिका पर विचार करना; और

(3) समय-समय पर महत्वपूर्ण सहकारी गतिविधियों की प्रगति तथा समस्याओं का पुनर्विलोकन करना ।

3. समिति की बैठक उतनी बार होगी जितनी बार आवश्यक हो ।

4. समिति का कार्यकाल 2 वर्ष होगा ।

आदेश

आदेश है कि इस संकल्प की प्रति सभी सम्बन्धितों को भेजी जाए । यह भी आदेश है कि इस संकल्प को जन-साधारण की सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

के० राममूर्ति, सचिव

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 4 अगस्त 1969

संकल्प

विषय :—राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् के भावी विकास संबंधी समीक्षा समिति की रिपोर्ट—उसके विषय में आदेश ।

सं० एफ० 1-3/68-एन० सी० ई० आर० टी०—क्योंकि स्कूल शिक्षा अनिवार्य रूप से राज्य विषय है, केन्द्र का इस क्षेत्र में मोटे तौर से संबन्ध (क) विचार तथा सूचनाओं के समाशोधन गृह (clearing house) के रूप में सेवा करना; (ख) अनुसंधान, प्रयोगात्मक तथा मार्गदर्शी परियोजनाओं का आयोजन करना; तथा (ग) साधारणतया नवप्रवर्तन को प्रेरणा प्रदान करना; विशेष रूप से गुणात्मक कार्य-क्रमों की कोटि में सुधार से है । इस दायित्व को ध्यान में रखते हुए, स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे कुछ केन्द्रीय संस्थानों की स्थापना पहले की गई । इनमें केन्द्रीय शिक्षा संस्थान (1947), केन्द्रीय पाठ्य-पुस्तक अनुसंधान ब्यूरो तथा केन्द्रीय शैक्षणिक तथा व्यावसायिक मार्ग दर्शन ब्यूरो (1954), अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् (1955), जो कि बाद में माध्यमिक शिक्षा विस्तार कार्य-क्रम निदेशालय बन गया (1959), राष्ट्रीय बुनियादी शिक्षा संस्थान तथा राष्ट्रीय मौलिक शिक्षा केन्द्र (1956) तथा राष्ट्रीय दृश्य-श्रव्य संस्थान (1959) सम्मिलित हैं, क्योंकि ये छोटी और कुछ अलग थलग सी संस्थाएं उस सुविचारित विशद उद्देश्य को अच्छी तरह से पूरा नहीं कर सकीं इसलिये उन्हें एक साथ मिलाकर एक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद (1961) का गठन कर दिया गया तथा इसके अधीन 4 क्षेत्रीय शिक्षा कालेज स्थापित कर दिये गये ।

2. राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् के कार्य-क्रमों तथा कार्यकलापों की समीक्षा तथा मूल्यांकन तथा उसके भविष्य के लिये सिफारिश करनेहेतु भारत सरकार ने डा० वी० डी० नागचौधरी (सदस्य विज्ञान) योजना आयोग की अध्यक्षता में एक पुनरीक्षण समिति नियुक्त की । समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है । परिषद के शासी-निकाय द्वारा व्यक्त विचारों को ध्यान में रखते हुये भारत सरकार ने समिति की सिफारिशों की जांच की । समिति की प्रमुख सिफारिशों पर सरकार के निर्णय निम्नलिखित हैं :—

3. परिषद का कार्य

परिषद का मुख्य कार्य शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय को उसकी शिक्षा संबंधी नीतियों तथा प्रमुख कार्यक्रमों को तैयार करने, उनको कार्यान्वित करने तथा इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक अनुसंधान, प्रयोग मार्गदर्शी परियोजनायें, अग्रस्तरीय प्रशिक्षण तथा विस्तार सेवाओं का विकास करना है । इन कार्यों को संतोषजनक ढंग से करने के लिये उसे मंत्रालय, राज्य शिक्षा विभागों तथा विश्वविद्यालयों से निकटतम सम्पर्क बनाना चाहिये । परिषद को मंत्रालय के प्रधान शिक्षा सलाहकार के रूप में कार्य करना चाहिये । उसे मंत्रालय को देश में स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में हुये विकास तथा उभरती हुई विचारधाराओं के सम्बन्ध में अवगत रखना, मंत्रालय द्वारा प्रतिपादित नीति को ध्यान में रखते हुये अपने कार्य-क्रमों को अनुस्थापित करना तथा इस क्षेत्र में समय-समय पर बनाये जाने वाले मंत्रालय के कार्य-क्रमों को कार्यान्वित करना चाहिये । परिषद के निदेशक तथा वरिष्ट अधिकारियों को शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय के सचिव तथा अन्य वरिष्ट अधिकारियों से इस कार्य के लिये प्रभावशाली सम्पर्क रखना चाहिये तथा उनके निकट तथा सतत सहयोग से काम करना चाहिये । परिषद को राज्यों तथा केन्द्र शासित राज्यों के शिक्षा सचिवों, तथा शिक्षा । जन शिक्षा निदेशकों से निकटतम सम्पर्क स्थापित करना चाहिये और राज्य शिक्षा संस्थानों (अथवा राज्य शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद) के स्कूली शिक्षा तथा कर्मचारी विनिमय कार्यक्रम के सुधार अथवा सहयोगात्मक अनुसंधान कार्यक्रम के जरिए कारगर कार्यकरण संबंध स्थापित करना चाहिए । स्कूली शिक्षा सुधार के काम से सम्बन्धित विश्वविद्यालय विभागों से भी ऐसे ही सम्बन्धों को विकसित किया जाना चाहिए ।

4. परिषद् को पूर्व-प्राथमिक तथा प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिये । इस क्षेत्र में उसका (परिषद का) प्रधान कार्य-क्रमों के मूल्यक, नवीन विचारों तथा पद्धति के उत्पादक तथा राज्य सरकारों और अन्य शिक्षण अधिकारियों को सुझाये जाने वाले तथा कार्य के उत्प्रेरक के रूप में होना चाहिये ।

5. राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान

सरकार साधारण तया समीक्षा समिति से इस बात पर सहमत है कि राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के विभागों का और अधिक प्रभावशाली और समन्वित कार्य करने के लिये पुनर्गठन किया जाना चाहिये । संस्थान के प्रधान विभाग इस प्रकार होने चाहिये :—

1. समाज विज्ञान तथा मानव विज्ञान विभाग
2. विज्ञान शिक्षा विभाग
3. शिक्षा मनोविज्ञान तथा शिक्षा प्रतिष्ठान विभाग
4. अध्यापन सहायक विभाग
5. पाठ्य-पुस्तकों का विभाग
6. पूर्व-प्राथमिक और प्राथमिक शिक्षा विभाग, तथा
7. शिक्षक शिक्षा विभाग

6. इसके अतिरिक्त आंकड़े आदेशिका तथा शैक्षणिक सर्वेक्षण का एक पृथक यूनिट होना चाहिये । संस्थान के केन्द्रीय पुस्तकालय के कार्य-कलापों के एक भाग के रूप में प्रलेख पोषण तथा सूचना सेवाओं का विकास होना चाहिये । जैसा कि ऊपर कहा गया है—दर्शनशास्त्र विभाग तथा समाजशास्त्र प्रतिष्ठानों का विलय शैक्षणिक मनोविज्ञान विभाग में कर देना चाहिये । प्रशासन तथा क्षेत्र सेवा विभागों को समाप्त कर देना चाहिये । विस्तार सेवाओं की ओर, फिर भी, विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये तथा उसका प्रत्येक पृथक विभाग के कार्य-क्रम के अभिन्न अंग के रूप में विकास किया जाना चाहिये ।

7. समीक्षा समिति की सिफारिशों तथा समय-समय पर सरकार द्वारा दिये जाने वाले अनुदेशों को ध्यान में रखते हुये परिषद के निदेशक को यह निर्णय करना चाहिये कि किन विवरणों तथा अवस्थाओं में प्रत्येक विभाग को कार्य करना है तथा उनके कार्य-क्रमों का एक दूसरे से समन्वय होना है ।

8. सरकार मोटे तौर पर राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के भविष्य के कार्य-क्रमों के सम्बन्ध में समीक्षा समिति के सुझावों से सहमत है। इन पर विस्तृत रूप से निर्देशक द्वारा विचार किया जाना चाहिये।

9. क्षेत्रीय शिक्षा कालेज

सरकार यह आवश्यक नहीं समझती कि क्षेत्रीय कालेजों को राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान का कैम्पस बनाया जाय; अपितु उनके और राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के मध्य निकटतम सम्पर्क स्थापित होना चाहिये। प्रत्येक क्षेत्रीय कालेज का प्राथमिक उद्देश्य शिक्षक शिक्षा का विशिष्ट केन्द्र बनना, उसके क्षेत्र के प्रशिक्षण संस्थानों को विस्तार सेवा प्रदान करना और साधारणतया क्षेत्र में स्कूल शिक्षा के सुधार तथा विशेषतया शिक्षक शिक्षा के कार्यक्रमों में घनिष्टता से सम्मिलित होना, होना चाहिये।

10. तकनीकी में चार वर्षीय पाठ्य-क्रम में नये प्रवेश पहले ही बन्द कर दिये गये हैं। ऐसे ही प्रवेश अंग्रेजी तथा वाणिज्य में भी 1970-71 से बन्द कर देने चाहिये। विज्ञान में चार वर्षीय पाठ्य क्रम के सम्बन्ध में अलग से आदेश प्रेषित किये जायेंगे। इससे उपलब्ध सुविधायें और साधनों का उपयोग एक वर्षीय पाठ्य क्रम के विकास और विस्तार में किया जाना चाहिये, जिससे पूर्वप्राथमिक तथा प्राथमिक अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिय अन्वेषक तथा प्रयोगात्मक कार्यक्रमों को अपनाया जा सके तथा शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षकों को शिक्षण देने वाला तथा स्नातकोत्तर विकास और अनुसंधान कार्य-क्रमों की तैयारी की जा सके, जिन पाठ्य-क्रमों में नामांकन अल्प हैं उन्हें आवश्यकतानुसार एक या दो केन्द्रों में ही स्थिर करना चाहिये। निदेशक को चाहिये कि वह प्रत्येक क्षेत्रीय कालेज के मामले की इन आदेशों के आधार पर पृथक जांच करे तथा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में उसके कार्यक्रमों में समुचित संशोधन करे।

11. राज्य शिक्षा विभागों के साथ सम्बन्ध

यह आवश्यक है कि परिषद् और राज्य के शिक्षा विभागों के मध्य और अधिक निकट संबंध हो। इसके लिये शिक्षा सचिवों तथा राज्य शिक्षा केन्द्र शासित राज्यों के जनशिक्षा निदेशकों के वार्षिक सम्मेलन में राज्य सरकारों द्वारा परिषद के कार्य-क्रमों पर विचार करने तथा उनकी उपयोगिता पर विचार करने के लिए पर्याप्त समय निर्धारित किया जाना चाहिए।

12. सरकार समीक्षा समिति से इस बात पर सहमत है कि एक ओर राष्ट्रीय शिक्षा सस्थान और क्षेत्रीय शिक्षा कालेज (राज्य स्तर के संगठन जो स्कूली शिक्षा में गुणात्मक सुधार करते हैं, सम्मिलित हैं) तथा दूसरी ओर विश्वविद्यालय विभाग जो स्कूली शिक्षा में रुचि रखते हों, इसके लिये यदि आवश्यकता पड़े तो अधिक संख्या में पदों की व्यवस्था की जा सकती है।

13. परिषद की हैसियत

परिषद् और मंत्रालय के मध्य आवश्यक निकटतम और अंतरंग सम्बधों की सम्भावना की जानी चाहिये। यह उपयुक्त नहीं है कि इसको राष्ट्रीय महत्वपूर्ण संस्थान अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के खण्ड 3 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के समक्ष परिवर्तित किया जाये।

14. प्रशासनिक व्यवस्था

सरकार समीक्षा समिति से इस बात पर सहमत है कि निदेशक और संयुक्त निदेशक के पद पूर्णकालिक होने चाहिये। इन पदों के वेतनमान और सेवा की शर्तें हाल ही में निश्चित की गई तथा परिषद् को भेज दी गई हैं। समीक्षा समिति द्वारा प्रस्तावित डीन के पद को सरकार आवश्यक नहीं समझती।

15. संविधान में संशोधन

सरकार समीक्षा समिति से इस बात पर सहमत है कि संस्था का ज्ञापन पत्र तथा परिषद् के नियमों में कुछ संशोधन आवश्यक हैं जिससे स्कूल शिक्षा के सुधार में वह उपयुक्त जिम्मेदारी निभा सके। स्कूली शिक्षा में इस सम्बध में समीक्षा समिति द्वारा दिये गये सुझाओं का निरीक्षण करके सरकार सहर्ष निदेश देती है कि परिषद् को संस्था के ज्ञापन पत्र में संशोधन करने के लिये शीघ्र कदम उठाने चाहिये। इस पर नियम निम्नलिखित हैं।

I. संस्था के ज्ञापन पत्र के अनुच्छेद 3 में इस प्रकार संशोधन किया जाय :

3(1) परिषद् का उद्देश्य शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय की नीतियों, स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में बृहद कार्य-क्रमों की रचना एवं कार्यान्वित करने में सहयोग देना है।

(2) इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये परिषद् निम्नलिखित में से कोई एक या सभी कार्यक्रमों और कार्यकलापों को अपना सकती है :—

(क) स्कूली शिक्षा में सम्बंधित अध्ययन, अन्वेषण और सर्वेक्षण को हाथ में लेना।

(ख) पूर्व सेवा और अन्तर सेवा प्रशिक्षण प्रमुखतः अग्रिम स्तर पर आयोजित करना।

(ग) जो संस्थान शिक्षा अनुसंधान, अध्यापकों के प्रशिक्षण या स्कूलों में विस्तार सेवा की व्यवस्था में संलग्न हैं उनके लिये विस्तार सेवा का आयोजन करना।

(घ) समुन्नत शिक्षा तकनीक और स्कूलों में अभ्यास को चारों ओर फैलाना।

(ङ) अपने उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिये राज्य शिक्षा विभाग, विश्वविद्यालय और अन्य शिक्षा संस्थानों को सहयोग और सहायता देना।

(च) स्कूली शिक्षा से सम्बंधित विचार तथा सूचनाओं की समाशोधन गृह के रूप में कार्य करना।

(छ) उद्देश्यों के लिये देश के किसी भी भाग में इस प्रकार के संस्थान, यदि उनकी आवश्यकता अनुभव की जाय, तो स्थापित एवं संचालित करना।

(ज) स्कूली शिक्षा से सम्बंधित विषय पर राज्य सरकारों और अन्य शिक्षण संगठनों तथा संस्थानों को सलाह देना।

(झ) उद्देश्यों को आगे बढ़ने के लिये आवश्यक पुस्तकें। पत्रिकाओं और अन्य साहित्य को प्रकाशित करने की व्यवस्था करना।

(ञ) उपहारों, क्रय, लीज तथा अन्य प्रकार से किसी सम्पत्ति, चल अथवा अचल जो परिषद् के अभिप्राय: के लिये आवश्यक और सुविधाजनक हो, ग्रहण करना तथा परिषद् के तात्पर्य हेतु भवन या भवनों का निर्माण, परिवर्तन तथा अनुरक्षण करना।

(ट) प्रेमिसरी नोट, विनियम बिल, चेक तथा दूसरे परक्राम्य लिखितों के निकालने, बनाने, स्वीकार, पृष्ठांकन, बट्टे के सम्बंध में भारत सरकार से बातचीत करना।

(ठ) परिषद् की निधियों का विनिधान ऐसे ऋणपत्रों में और ढंगों से करना, जो समय-समय पर कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित किये जायं और समय-समय पर ऐसे विनिधानों का विक्रय तथा हस्तांतरण किया जा सके।

(ड) परिषद् की समस्त अथवा किसी सम्पत्ति का विक्रय, हस्तांतरण, लीज या किसी अन्य ढंग से निपटान करना।

(ढ) ऐसे सभी कार्य करना जिसे परिषद् उसके प्राथमिक उद्देश्यों, शैक्षणिक अनुसंधान की प्रगति, शैक्षणिक व्यक्तियों की अग्रिम व्यवसायिक प्रशिक्षण तथा शिक्षण संस्थानों में विस्तार सेवा के आयोजन के लिये प्रासंगिक अथवा सहायक रूप से आवश्यक समझे।

II. **परिषद्** :—

परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगें:—

(i) शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री — पदेन अध्यक्ष

(ii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष — पदेन

(iii) शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय पदेन के सचिव

(iv) चार विश्वविद्यालयों के उपकुलपति प्रत्येक जौन से एक भारत सरकार द्वारा मनोनीत।

(v) प्रत्येक राज्य सरकार और केन्द्र शासित राज्य से एक विधायक प्रतिनिधि जो कि राज्य सरकार केन्द्र शासित राज्य का शिक्षा मंत्री (या उसका प्रतिनिधि) दिल्ली के सम्बंध में मुख्य कार्यकारी पार्षद (या उसका प्रतिनिधि) सदस्य होगा।

(vi) कार्यकारी समिति के सभी सदस्य जो उपरोक्त में सम्मिलित न हों।

(vii) कार्यकारी में उपरोक्त सदस्य सम्मिलित नहीं हैं और ऐसे अन्य व्यक्ति-12 से अधिक नहीं जिनको समय-समय पर भारत सरकार मनोनीत करें, इनमें चार से कम स्कूल अध्यापक न हों।

III. **कार्यकारी समिति**

परिषद् के कार्य परिषद् के नियम एवं विनियम तथा आदेशों के अनुसार एक कार्यकारी परिषद् द्वारा प्रशासित होंगे तथा कार्यकारी समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे।

(i) परिषद् का अध्यक्ष, कार्यकारी समिति का पदेन् अध्यक्ष

(ii) परिषद् का निदेशक, कार्यकारी समिति का पदेन् उपाध्यक्ष

(iii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष पदेन् सदस्य

(iv) चार शिक्षा शास्त्री जो स्कूली शिक्षा में विशेष रुचि रखते हों (इनमें से दो स्कूल अध्यापक होंगे) ये परिषद् के सदस्यों में से अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किये जायेंगें।

(v) परिषद् का संयुक्त निदेशक

(vi) दो सदस्य जिन्हें परिषद् के अध्यक्ष संकाय के प्राध्यापकों और विभागाध्यक्षों के स्तर से मनोनीत करेंगें।

(vii) शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय का एक प्रतिनिधि, तथा

(viii) वित्त मंत्रालय से एक प्रतिनिधि जो परिषद् का वित्तीय सलाहकार होगा।

IV. **कार्यक्रम सलाहकार समिति**

परिषद् का शैक्षणिक अध्ययन मण्डल समाप्त कर दिया जाना चाहिये तथा उसे कार्यक्रम सलाहकार समिति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाये।

1. कार्यक्रम सलाहकार समिति परिषद् के कार्य जिसका रेखांकन ऊपर पैरा 3 में किया गया है को ध्यान में रखते हुए कार्यकारी समिति से अनुसंधान, प्रशिक्षण, विस्तार तथा अन्य कार्यक्रमों के सम्बंध में तथा क्षेत्रीय शिक्षा कालेजों के कार्य संचालन माध्यमों जिससे देश में स्कूल शिक्षा के सुधार और उत्थान के उद्देश्य की भली प्रकार सेवा हो सके एवं मार्ग दर्शन किया जा सके, सिफारिश करेगी।

यह कार्य-क्रम सलाहकार समिति की जिम्मेदारी होगी कि सभी योजनाओं, कार्यक्रमों, अनुसंधान प्रस्तावों आदि पर विचार करने तथा राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान और क्षेत्रीय शिक्षा कालेजों के कार्य की शैक्षणिक पहलुओं से जांच करना तथा यह अश्वस्त करना कि उनके कार्य-क्रमों के विकास की पहुंच समन्वित है।

2. कार्यक्रम सलाहकार समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगें।

(i) परिषद् के निदेशक — अध्यक्ष

(ii) परिषद् के संयुक्त निदेशक — उपाध्यक्ष

(iii) परिषद् के अध्यक्ष द्वारा 5 विश्वविद्यालय प्राध्यापकों अथवा विभागाध्यक्षों को मनोनीत किया जायेगा, जो शिक्षा तथा अन्य सम्बंधित अनुशासन का प्रतिनिधित्व करेंगे।

(iv) परिषद् के अध्यक्ष द्वारा सभी राज्यों तथा केन्द्र शासित राज्यों से राज्य शिक्षा संस्थान के 5 निदेशकों को बारी-बारी से मनोनीत करेंगें।

(v) परिषद् के निदेशक द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के सभी विभागाध्यक्षों तथा क्षेत्रीय शिक्षा कालेज के सभी प्राध्यापकों, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान से एक प्राध्यापक/रीडर मनोनीत किये जायेंगें।

3. कार्यक्रम सलाहकार समिति ऐसी समितियां जिन्हें वह विशेष समस्याओं को हल करने अथवा कार्यक्रमों को सौंपने अथवा अपने कार्य के विशेष पहलू के लिये, जिन्हें वह आवश्यक समझती है, नियुक्त कर सकती है।

V नियुक्तियां

परिषद् के निदेशक, संयुक्त निदेशक तथा सचिव की नियुक्ति उनका पारिश्रमिक तथा अन्य सेवा की शर्तें भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जायेंगी ।

VI. मंत्रालय के साथ सम्बंध

सरकार समीक्षा समिति से इस बात पर सहमत है कि परिषद् तथा शिक्षा और युवक सेवा मंत्रालय के मध्य सम्बधों को पुनः परिभाषित करने तथा उनके मध्य नये निकटतम सहयोग के सम्बंध बनाने की आवश्यकता है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि इन नये सम्बंधों में सरकार की नीतियों तथा परिषद् कार्यक्रमों में निकट सम्पर्क, मंत्रालय के व परिषद् के अधिकारियों के मध्य अधिक निकट और सतत सहयोग की अपेक्षा है, इसके अतिरिक्त सरकार की महत्व-पूर्ण नीति सम्बन्धी मामलों तथा कार्य क्रमों के सम्बंध में निदेशों के निर्गम के लिये परिषद् के संविधान में व्यवस्था होनी चाहिये।

VII परिणामतः संशोधन

परिषद् के अन्य नियमों में भी ऐसे परिणामतः संशोधन करने के लिए, जो आवश्यक समझे जायं, कदम उठाये जाने चाहिये।

16. समीक्षा समिति की ऐसी सिफारिशें जिन का यहां उल्लेख नहीं किया गया, कार्यकारी समिति द्वारा उनकी जांच तथा उन पर निश्चिय किया जायेगा।

17. सरकार समीक्षा, समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के कार्य तथा बहुमूल्य रिपोर्ट पर गहरी प्रशंसा अंकित करना चाहती है।

एम० चक्रवर्ती, सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 14 अगस्त 1969

विषय :—राष्ट्रीय ग्राम उच्च शिक्षा परिषद्

सं० एफ० 1-4/69-यू०-1—उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय की अधिसूचना सं० एफ० 1-2/66-यू०-3, दिनांक 6 जुलाई, 1966 के आगे, यह अधिसूचित किया जाता है कि 1 जुलाई, 1969 से 3 वर्ष की अवधि के लिये, राष्ट्रीय ग्राम उच्च शिक्षा परिषद का पुनर्गठन निम्नलिखित रूप से किया गया है :—

(क) **पदेन**

1. प्रो० वी० के० आर० वी० राव (**अध्यक्ष**)
शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री
भारत सरकार,
नई दिल्ली।

2. श्री० एस० चक्रवर्ती, (**उपाध्यक्ष**)
सचिव,
शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय,
नई दिल्ली।

3. श्री आर० एस० चिटकारा, (**सदस्य-सचिव**)
उप शिक्षा सलाहकार,
शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय
नई दिल्ली।

(ख) **अन्य अधिकारी**

4. श्री एल० एस० चन्द्रकान्त,
संयुक्त शिक्षा सलाहकार
शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय,
नई दिल्ली।

5. श्री एम० एन० चौधुरी,
संयुक्त आयुक्त,
खाद्य, कृषि तथा सामुदायिक विकास मंत्रालय,
(सामुदायिक विकास विभाग)
नई दिल्ली।

6. श्री एस० के० मुखर्जी,
उप कृषि आयुक्त (**शिक्षा**),
खाद्य, कृषि तथा सामुदायिक विकास मंत्रालय,
(**कृषि विभाग**)
नई दिल्ली।

7. डा० बी० एस० महाल
निदेशक,
केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय,
स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण अवास तथा नगर विकास मंत्रालय,
(**स्वास्थ्य विभाग**),
नई दिल्ली।

8. श्री के० अरुणाचलम,
उपाध्यक्ष,
खादी और ग्राम उद्योग आयोग,
औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार और कम्पनी कार्य मंत्रालय,
(आंतरिक व्यापार विभाग),
नई दिल्ली।

(ग) **ग्राम संस्थानों के निदेशक/प्रतिनिधि**

9. श्री जे० एन० मिश्र,
निदेशक,
ग्राम संस्थान, बिरौली,
जि० दरभंगा (बिहार)।

10. डा० एस० एन० सिंह
अवैतनिक निदेशक,
बलवंत विद्यापीठ ग्राम संस्थान,
बिचपुरी, आगरा (उत्तर प्रदेश)।

11. प्रो० एम० मुजीब,
कुलपति,
जामिया मिलिया इस्लामिया
नई दिल्ली।

12. श्री सुशील कुमार,
सचिव, शासी निकाय,
कस्तूरबा ग्राम संस्थान,
राजपुरा (पंजाब)।

13. श्री के० एल० श्रीवास्तव,
निदेशक,
विद्या-भवन ग्राम संस्थान,
उदयपुर (राजस्थान)।

14. डा० (कुमारी) एस० गोविन्दी,
प्रिन्सिपल,
कस्तूरबा ग्राम संस्थान,
ग्राम इन्दौर (मध्य प्रदेश)।

15. श्री डी० जे० हातेकर,
प्रिन्सिपल,
ग्राम संस्थान,
वर्धा (महाराष्ट्र)।

16. श्री वी० सुब्बाराव
निदेशक,
ग्राम संस्थान,
अमरावती (महाराष्ट्र)।

17. श्री वी० टी० पाटिल,
सभापति,
श्री मौनी विद्यापीठ,
गरगोटी, जिला कोल्हापुर (महाराष्ट्र)।

18. श्री मनुभाई पंचोली,
अवैतनिक संयुक्त निदेशक,
लोक भारती ग्राम संस्थान,
सनोसारा, जिला भावनगर (गुजरात)।

19. श्री वी० रामचन्द्र,
निदेशक कार्यभारी,
ग्राम संस्थान,
हनुमानमट्टी,
जिला धारवार (मैसूर)।

20. श्री टी० एस० अविनाशलिंगम्,
अवैतनिक निदेशक,
श्री रामकृष्ण मिशन,
विद्यालय ग्राम संस्थान,
जि० कोयम्बटूर (तमिलनाडु)।

21. श्री जी० रामचन्द्रन,
(संसद् सदस्य),
अवैतनिक निदेशक,
गान्धीग्राम ग्राम संस्थान,
गान्धीग्राम, जिला मदुराई (तमिलनाडु)।

22. श्री ए० शंकर पिल्लै,
निदेशक,
ग्राम संस्थान, तावानूर,
पोस्ट तावानूर,
जिला पालघाट (केरल)।

(घ) **शिक्षाविद**

23. श्री के० एल० श्रीमाली,
कुलपति,
मैसूर विश्वविद्यालय,
(मैसूर)।

24. श्री एन० डी० सुन्दरवडिवेलु,
मुख्य शिक्षा सलाहकार तथा निदेशक,
कालेज शिक्षा,
तमिलनाडु सरकार, (मद्रास)।

25. डा० (कुमारी) दुर्गा देवुलकर,
निदेशक,
लेडी इरविन कालेज,
नई दिल्ली।

26. डा० एस० आर० बरुआ,
कुलपति,
असम कृषि विश्वविद्यालय
जोरहाट (असम)।

(ङ) **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिनिधि**

27. प्रो० एम० एन० श्रीनिवास,
अध्यक्ष, समाज विज्ञान विभाग,
दिल्ली विश्वविद्यालय,
दिल्ली।

(च) **भारतीय अन्तर-विश्वविद्यालय बोर्ड के प्रतिनिधि**

28. श्री० ए० एस० अडके,
कुलपति,
कर्नाटक विश्वविद्यालय,
धारवार (मैसूर)।

(छ) **कृषि विश्वविद्यालयों के दो प्रतिनिधि**

29. डा० एम० एस० रंधावा,
कुलपति,
पंजाब कृषि विश्वविद्यालय,
लुधियाना (पंजाब)।

30. डा० के० सी० नायक,
कुलपति,
कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय,
बंगलौर (मैसूर)।

आर० एस० चिटकारा, उप शिक्षा सलाहकार

सिंचाई व बिजली मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, दिनांक 11 अगस्त 1969

सं० बि० दो-12(21)/61—जल्दी-तीन—दिल्ली ताप परियोजना नियंत्रण बोर्ड के गठन से सम्बन्धित, समय-समय पर संशोधित इस मंत्रालय के संकल्प सं० बि० दो-12(21)/61, दिनांक 26

सितम्बर, 1962 में पैरा 2 के लिये निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए:—

2. इस बोर्ड में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे:—

1. केन्द्रीय सिंचाई व बिजली उपमंत्री	अध्यक्ष
2. कार्यकारी पार्षद (बिजली विभाग के कार्य-प्रभारी) महानगर परिषद, दिल्ली प्रशासन ।	सदस्य
3. संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय, (व्यय विभाग) अथवा उसका प्रतिनिधि ।	सदस्य
4. अध्यक्ष, केंद्रीय जल तथा विद्युत आयोग ।	सदस्य
5. उपाध्यक्ष, केंद्रीय जल तथा विद्युत आयोग	सदस्य
6. निदेशक (वि० मु० वि०) सिंचाई व बिजली मंत्रालय	सदस्य
7. अध्यक्ष, दिल्ली विद्युत प्रदाय समिति ।	सदस्य
8. महाप्रबन्धक, दिल्ली विद्युत प्रदायक संस्थान	सदस्य
9. अध्यक्ष, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड ।	सदस्य
10. सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, हरियाणा सरकार ।	सदस्य
11. सदस्य (अभिकल्प और अनुसंधान), केंद्रीय जल तथा विद्युत आयोग ।	सदस्य
12. महानिदेशक (सड़क विभाग) और पदेन अवर सचिव, संसद, नौचालन और परिवहन मंत्रालय (नौचालन और परिवहन विभाग)	सदस्य
13. सचिव (स्थानीय स्वायत्त शासन और सार्वजनिक निर्माण विभाग) दिल्ली प्रशासन	सदस्य

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को पंजाब और हरियाणा की सरकारों, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली नगर निगम, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, प्रधान मंत्री सचिवालय, राष्ट्रपति के सचिव, योजना आयोग, और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पास भेज दिया जाए ।

यह आदेश भी दिया जाता है कि इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए ।

के० जी० आर० अय्यर, संयुक्त सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 16 अगस्त 1969

सं० वि० का पांच-1 (8)/69— मई, 1969 में भारी वर्षा के साथ आए भयंकर चक्रवात से आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों में जान और माल को तथा सड़क व रेल संचार को काफी नुकसान पहुंचा । कई एक ताल और नहरें, जो लगभग 15 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई करती हैं, पूर्णतः क्षति-ग्रस्त हो गई । इस क्षेत्र के वर्तमान बाढ़ नियंत्रण कार्यों को भी काफी क्षति पहुंची । इस क्षेत्र की समस्याओं का अध्ययन इस मंत्रालय के संकल्प सं० वि० का० पांच-501(4)-64, दिनांक 9-10-1964 के अधीन 1964 में नियुक्त एक समिति द्वारा किया गया था और कुछ सिफारिशें की गई थीं । इस वर्ष के अनुभव को ध्यान में रखते हुए इन सिफारिशों का पुनरवलोकन अपेक्षित है । 1969 की स्थिति को ध्यान में रख कर इस समिति के प्रस्तावों को अद्यतन बनाने के लिये भारत सरकार ने एक समिति के गठन करने का निर्णय किया है जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति।अधिकारी शामिल होंगे:—

1. श्री एन० जी० के० मूर्ति	अध्यक्ष
2. श्री जतिन्द्र सिंह	सदस्य
3. श्री सी० वी० गोले	सदस्य
4. मुख्य अभियंता (वृहत् सिंचाई व सामान्य), आंध्र प्रदेश सरकार	सदस्य
5. मुख्य अभियंता, (बाढ़ नियंत्रण/निदेशक (बाढ़ नियंत्रण,) केंद्रीय जल तथा विद्युत् आयोग ।	सदस्य
6. श्री जे० ए० मरे, निदेशक (बाढ़ वनुभावन) केंद्रीय जल तथा विद्युत् आयोग ।	सदस्य-सचिव

2. इस समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे:—

1. मई, 1969 में जो स्थिति उत्पन्न हुई थी, उस की जांच करना और बुदामेरामुनेरु, कट्टालेरू और बाइरा में बाढ़ों को नियंत्रण करने के लिये अपनाए जाने वाले तात्कालिक पगों को सुझाना;
2. 1965 में मित्रा समिति द्वारा की गई सिफारिशों और बाद में राज्य सरकार द्वारा किये गए अतिरिक्त अनुसंधानों का पुनरवलोकन करना और यथा-व्यवहार्य कृष्णा गोदावरी के डेल्टों की बाढ़ों को रोकने और जलनिकास समस्याओं के लिये अपनाए जाने वाले उपायों को बताना; और
3. इस क्षेत्र में सिंचाई तालों के लिये जल-दाब संबंधी तथा अन्य अभिकल्पों के वर्तमान मानों का पुनरवलोकन करना और मई, 1969 में उत्पन्न हुई स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन में संशोधनों का सुझाव देना ।

3. यह समिति अपनी रिपोर्ट एक मास के भीतर प्रस्तुत करेगी ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए और प्रतिलिपियां सभी संबंधित व्यक्तियों को भेजी जाएं ।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति आंध्र प्रदेश सरकार को भेजी जाए और उन से यह अनुरोध किया जाए कि वे आम सूचना के लिए इसे राज्य के राजपत्र में प्रकाशित कर दें ।

यह आदेश भी दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रतिलिपि भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, योजना आयोग, प्रधान मंत्री सचिवालय, राष्ट्रपति के सैनिक सचिव, लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय, संसद विभाग, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पास भेज दी जाए ।

पी० आर० आहुजा, संयुक्त सचिव

DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE

New Delhi-1, the 30th June 1969

RESOLUTION

No. F. 22/16/69-SW.5.—It has been decided to appoint Shri M. C. Nanavetty, Adviser, Social Welfare in this Department *vice* Shri B. S. Ramdas, Deputy Secretary, as Member Secretary of the Central Prohibition Committee constituted in this Department's Resolution No. 5/2/67-Proh.Cell (S.W.-5), dated the 17th September, 1968.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all the Members of the Committee, all the Ministries of the Government of India, the Planning Commission, the Cabinet Secretariat, the Prime Minister's Secretariat, the Lok Sabha Secretariat, the Rajya Sabha Secretariat, the Department of Parliamentary Affairs, the All India Prohibition Council and the Chief Secretaries of all the State Governments/Union Territories.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

N. H. RAMAKRISHNAN, Under Secy.

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT & COOPERATION

(Department of Cooperation)

New Delhi, the 16th August 1969

RESOLUTION

No. 4-23/69-UTB&C.—In Government of India, Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Department of Cooperation) Resolution No. 5-67/66-UTB&C, dated 16-11-1966, a Consultative Committee, for advising the Government of India on the formulation and implementation of policies relating to cooperative development, was set up, for a term of 2 years. This term having expired, Government have decided to reconstitute the Committee with the following members :

Chairman

1. Minister of State incharge of Cooperation in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation.

Members

2. Shri B. Venkatappiah, Member, Planning Commission (Agriculture), Planning Commission, New Delhi.
3. Dr. Ashok Mitra, Chairman, Agricultural Prices Commission, Krishi Bhavan, New Delhi.
4. Shri V. Kurien, General Manager, Kaira District Cooperative Milk Producers' Union Ltd., Anand (Gujarat).
5. The President, National Cooperative Union of India, 72, Jorbagh, New Delhi.
6. The President, National Agriculture Cooperative Marketing Federation Ltd., D-44, South Extension Part II, New Delhi-49.
7. The President, All India State Cooperative Banks Federation Ltd., Garment House, IInd Floor, Dr. Annie Besant Road, Worli Naka, Bombay-18.
8. The President, All India Central Land Development Banks' Cooperative Union Ltd., Garment House, II Floor, Dr. Annie Besant Road, Worli Naka, Bombay-18.
9. The President, National Federation of Consumer Cooperatives, 25, Ring Road, Lajpat Nagar IV, New Delhi-24.
10. The President, National Federation of Cooperative Sugar Factories, 34, South Patel Nagar, New Delhi.
11. The President, All India Federation of Industrial Cooperatives, A-26, South Extension Part II, New Delhi-49.
12. The President, All India Federation of Cooperative Spinning Mills Ltd., V. Floor, Jehangir Building, 133, Mahatma Gandhi Road, Opposite University of Bombay, Bombay-1 (BR).
13. The President, All India Handloom Fabrics Marketing Cooperative Society Ltd., Janmbhoomi Chambers, Fort St., Bombay.
14. Dr. Sankta Prasad, Member, Lok Sabha, 132, South Avenue, New Delhi-11.
15. Shri C. D. Gautam, Member, Lok Sabha, 103, North Avenue, New Delhi-1.
16. Shri S. B. Bobdey, Member, Rajya Sabha, 22, North Avenue, New Delhi-1.
17. Shri L. C. Jain, General Secretary, Indian Cooperative Union, A.I.F.A.C.S. Building, Rafi Marg, New Delhi.
18. Shri S. K. Dey, No. 5, Lajpatnagar N.H., Ring Road, Near Vikram Hotel, New Delhi.
19. Shri Mathura Prasad Singh, Chairman, Bihar State Cooperative Bank Ltd., Patna-4.
20. Shri A. S. Patil, President, Mysore State Cooperative Union Ltd., 32, Shanti Kutir, Race Course Road, Bangalore-1.

2. The terms of reference of the Committee will be as follows :

(1) to advise Government on broad policy issues relating to cooperative development in the country;

(2) to consider the role of federal apex organisations in the implementation of policies relating to cooperative development; and

(3) to review progress and problems of important cooperative activities from time to time.

3. The Committee will meet as often as necessary.

4. The term of the Committee will be for a period of two years.

ORDER

ORDERED that a copy of the resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that the resolution be published in the Gazette of India for general information.

K. RAMAMURTHY, Jt. Secy.

MINISTRY OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES

New Delhi-1, the 4th August 1969

RESOLUTION

SUBJECT : *Report of the Review Committee on the future development of National Council of Educational Research and Training : orders on—*

No. F. 1-3/68-NCERT.—As school education is essentially a State subject, the role of the Centre in this field broadly relates to (a) serving as a clearing house of ideas and information; (b) conducting research, experiments and pilot projects; and (c) generally providing innovative impulses, especially in programmes of qualitative improvement. It was in the light of this role that some central institutions functioning in the field of school education were first established. These included : the Central Institute of Education (1947); the Central Bureau of Textbooks Research and the Central Bureau of Educational and Vocational Guidance (1954); the All India Council for Secondary Education (1955) which later on became the Directorate of Extension Programmes for Secondary Education (1959); the National Institute of Basic Education and the National Fundamental Education Centre (1956); and the National Institute of Audio-Visual Education (1959). As these small and somewhat isolated institutions did not adequately serve the broad purposes contemplated, in a coordinated way, they were merged together to form the National Council of Educational Research and

Training (1961) and four Regional Colleges of Education established thereunder.

2. To review and evaluate the activities and programmes of the National Council of Educational Research & Training and to make recommendations regarding their future, the Government of India appointed a Review Committee under the Chairmanship of Dr. B. D. Nag Chaudhuri, Member (Science), Planning Commission (1968). The report of the Committee has since been received. Its recommendations have been examined by the Government of India in the light of the views of the Governing Body of the Council, expressed thereon. The decisions of the Government on the major recommendations of the Committee are indicated below :

3. *Role of the Council* : The principal function of the Council is to assist the Ministry of Education & Youth Services in the formation and implementation of its policies and major programmes in the field of school education and to this end to develop the necessary research, experiments pilot projects, advanced level training and extension services. To discharge these functions satisfactorily, it should maintain close liaison with the Ministry, the State Education Departments and the Universities. The Council should act as the principal academic adviser of the Ministry, keep it informed of the emerging trends and developments in the field of school education in the country, orient its programmes in the light of policy requirements enunciated by the Ministry and implement the programmes of the Ministry in this field as outlined from time to time. The Director and the senior officers of the Council should maintain effective contact with the Secretary and senior officers of the Ministry of Education & Youth Services for this purpose and function in close and continuous collaboration with them. The Council should also maintain close contact with the Education Secretaries and the Directors of Education/Public Instruction in the States and Union Territories and develop effective working relationships with the State Institutes of Education (or State Councils of Educational Research and Training) through collaborative programmes of research or improvement of school education and exchange of staff. Similar relationships should also be developed with university departments interested in improvement of school education.

4. The Council should devote special attention to pre-primary and primary education. Its principal role in this field should be to function as an evaluator of programmes, as an innovator of new ideas and practices and as a promoter for further work that could be suggested to State Governments and other educational authorities.

5. *National Institute of Education* : Government generally agree with the Review Committee that the Departments of the National Institute of Education should be reorganised for more effective and coordinated functioning. The principal Departments of the Institute should be the following :—

(1) Department of Social Sciences and Humanities;

(2) Department of Science Education;

(3) Department of Educational Psychology and Foundations of Education;

(4) Department of Teaching Aids;

(5) Department of Textbooks;

(6) Department of Pre-Primary and Primary Education; and

(7) Department of Teacher Education.

6. In addition, there should be a separate Unit for data processing and educational survey. Documentation and information services should be developed as a part of the activities of the Central Library of the Institute. The Department of Philosophical and Sociological Foundations should be merged, as indicated above, in the Department of Educational Psychology. The Departments of Administration and Field Services should be abolished. Extension Services, however, should receive adequate attention and be developed as an integral part of the programmes of each individual department.

7. Director of the Council should decide, in the light of the recommendations of the Review Committee and the instructions given by the Government from time to time, the details of the manner in which each of these Departments will function and their programmes coordinated with one another.

8. The Government broadly agree with the suggestions made by the Review Committee regarding the future programmes of the National Institute of Education. These should be considered in detail by the Director.

9. *Regional Colleges of Education* : Government do not think it necessary to make the Regional Colleges, the campuses of the National Institute of Education. But a close liaison between them and the National Institute of Education should be established. The primary objective of each Regional College should be to become a centre of excellence in teacher education, to provide extension services to the training institutions in its area and be closely involved in programmes of improving school education, within the region, in general, and of teacher training in particular.

10. Fresh admissions to the four-year degree course in technology have already been discontinued. Such admissions to courses in English and Commerce should be discontinued with effect from 1970-71. Orders regarding the four-year course in Science will be issued separately. The facilities and resources thus released should be utilised for development and expansion of the one-year courses, for undertaking pioneering and experimental work in the field of training of pre-primary and primary teachers, for the preparation of teacher educators and for development of post-graduate and research programmes in education. Courses in which enrolments have been small, may be concentrated in one or two centres according to needs. The Director should examine the case of each Regional College separately on the basis of these orders and modify its programmes suitably in the Fourth Five Year Plan.

11. *Relations with State Education Departments* : It is necessary to foster closer ties between the Council and the State Education Departments. In the annual Conference of Education Secretaries and Directors of Public Instruction/Education of States/Union Territories, therefore, adequate time should be set apart for considering the programmes of the Council and their utilisation by the State Governments.

12. Government agree with the Review Committee that there should be effective inter-change of the staff between National Institute of Education and the Regional Colleges of Education (including other State level organisations, for qualitative improvement of school education) on the one hand and University departments interested in school improvement on the other. For this purpose, supernumerary posts may be created, if necessary.

13. *Status of the Council* : In view of the necessarily close and intimate relationship that should exist between the Council and the Ministry, it would not be appropriate to convert it either into an Institution of National Importance or a Deemed University under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956.

14. *Administrative Arrangements* : Government agree with the Review Committee that the posts of the Director and Joint Director should be whole-time. The scales of pay of these posts and other conditions of services have recently been decided and communicated to the Council. Government do not think that the post of Dean, recommended by the Review Committee, is necessary.

15. *Amendments to the Constitution* : Government agree with the Review Committee that several amendments to the Memorandum of Association and Rules of the Council are necessary to enable it to play its proper role in the improvement of school education. After examining the suggestions made by the Review Committee in this regard, Government are pleased to direct that the Council should take immediate steps to amend its Memorandum of Association and the Rules on the lines indicated below :—

I. Article 3 of the Memorandum of Association should be modified as follows :—

3(1) The objects of the Council shall be to assist the Ministry of Education and Youth Services in the formation and implementation of its policies and major programmes in the field of school education.

(2) For the realisation of these objectives, the Council may undertake any or all of the following programmes and activities :—

(a) To undertake or organise studies, investigations and surveys relating to school education;

(b) To organise pre-service and in-service training, mainly at an advanced level;

(c) To organise extension services for such institutions as are engaged in educational research, training of teachers or provision of extension services to schools;

(d) To disseminate improved educational techniques and practices in schools;

(e) To cooperate with and assist the State Education Departments, Universities and other educational institutions for the furtherance of its objects;

(f) To act as a clearing-house for ideas and information on all matters relating to school education;

(g) To establish and conduct, in any part of the country, such institutions as may be necessary to realise its objectives;

(h) To advise the State Governments and other educational organizations and institutions on matters relating to school education;

(i) To undertake the publication of such books, periodicals and other literature as may be necessary for the furtherance of its objects;

(j) To acquire by gift, purchase, lease or otherwise any property, movable or immovable, which may be necessary or convenient for the purposes of the Council and to construct, alter and maintain any building or buildings for the purposes of the Council;

(k) To draw, make, accept, endorse, discount and negotiate Government of India and other promissory notes, bills of exchange, cheques or other negotiable instruments;

(l) To invest the funds of the Council in such securities or in such manner as may from time to time be determined by the Executive Committee and from time to time, to sell or transfer such investments;

(m) To sell, transfer, lease or otherwise dispose of all or any property of the Council; and

(n) To do all such things as the Council may consider necessary, incidental or conducive to its primary objects of promoting educational research, advanced professional training of educational personnel, and the provision of extension services to educational institutions.

II. *Council* : The Council shall consist of the following members :—

(i) The Minister for Education and Youth Services—*ex-officio President;*

(ii) Chairman of the University Grants Commission—*ex-officio;*

(iii) Secretary to the Ministry of Education & Youth Services—*ex-officio;*

(iv) Four Vice-Chancellors of Universities, one from each zone, nominated by the Government of India;

(v) One representative of each State Government and Union Territory with a legislature, who shall be the Education Minister of the State/Union Territory (or his representative) and in the case of Delhi, the Chief Executive Councillor, Delhi (or his representative);

(vi) All members of the Executive Committee not included in the above; and

(vii) Such other persons, not exceeding twelve, as the Government of India may, from time to time, nominate. Not less than four of these shall be school teachers.

III. *Executive Committee* : The affairs of the Council shall be administered, subject to the rules and regulations and orders of the Council, by an Executive Committee which shall consist of the following :—

(i) President of the Council who shall be the *ex-officio* President of the Executive Committee;

(ii) Director of the Council who shall be the *ex-officio* Vice-President of the Executive Committee;

(iii) Chairman of the University Grants Commission, *ex-officio Member;*

(iv) Four educationists with known interest in school education (two of whom will be school teachers) nominated by the President from amongst the members of the Council;

(v) Joint Director of the Council;

(vi) Two members of the Faculty of the Council at the level of Professors and Heads of Departments nominated by the President of the Council;

(vii) One representative of the Ministry of Education and Youth Services; and

(viii) One representative of the Ministry of Finance, who shall also be the Financial Adviser of the Council.

IV. *Programme Advisory Committee* : The Board of Educational Studies of the Council be abolished and replaced by Programme Advisory Committee.

(1) The Programme Advisory Committee shall make recommendations to the Executive Committee regarding the lines on which research, training, extension and other programmes of the Council and the Regional Colleges of Education should be conducted and the channels into which they should be guided in order best to serve the object of promoting the improvement of school education in the country, keeping in view the role of the Council as outlined in paragraph 3 above. It will be the responsibility of the Programme Advisory Committee to consider all plans, programmes, research proposals, etc. and to examine the academic aspects of the work of the National Institute of Education and the Regional Colleges of Education and to ensure a coordinated approach to the development of their programmes.

(2) The Programme Advisory Committee will consist of the following members :—

Chairman

(i) The Director of the Council

Vice-Chairman

(ii) Joint Director of the Council.

(iii) Five University Professors or Heads of Departments representing Education and other related Disciplines, nominated by the President of the Council;

(iv) Five Directors of State Institutes of Education to be nominated by the President of the Council in rotation from all States and Union Territories;

(v) All Heads of Departments of the National Institute of Education and all Principals of the Regional Colleges of Education and one Professor/Reader from each Department of the National Institute of Education to be nominated by the Director of the Council.

(3) The Programme Advisory Committee may appoint such Committees as it may consider necessary to deal with special problems or programmes entrusted to it or with special aspects of its work.

V. *Appointments* : The Director, the Joint Director and the Secretary of the Council shall be appointed by Government which shall prescribe their remuneration and other terms of service.

VI. *Relationship with the Ministry* : Government agree with the Review Committee that it is necessary to redefine the relationship between the Council and the Ministry of Education & Youth Services, and to build up new relationships of close collaboration between them. As already stated, these new relationships require that there should be close linkage between the policies of the Government and the programmes of the Council and close and continuous collaboration

between the officers of the Ministry and the Council. In addition, there should be provision in the Constitution of the Council for the issue of directions by Government on important matters of policy and programmes.

VII. *Consequential Amendments* : Steps should also be taken to carry out such consequential amendments as may found to be necessary in the other rules of the Council in view of the amendments indicated above.

16. Such recommendations of the Review Committee as have not been mentioned here should be examined and decided upon by the Executive Committee.

17. Government wish to place on record their deep appreciation of the work done by the Chairman and Members of the Review Committee and for their valuable report.

S. CHAKRAVARTI, Secy.

New Delhi, the 14th August 1969

SUBJECT :—*National Council for Rural Higher Education*

No. F. 1-4/69*U*.4.—In continuation of this Ministry's notification No. F. 1-2/66U.3, dated 6th July, 1966, on the subject mentioned above, it is hereby notified that the National Council for Rural Higher Education has been reconstituted as under for a period of three years with effect from 1st July, 1969 :—

(a) *Ex-officio*

Chairman

1. Prof. V. K. R. V. Rao, Minister of Education & Youth Services, Government of India, New Delhi.

Vice-Chairman

2. Shri S. Chakravarti, Secretary, Ministry of Education & Youth Services, New Delhi.

Member-Secretary

3. Shri R. S. Chitkara, Deputy Educational Adviser, Ministry of Education & Youth Services, New Delhi.

(b) *Other Officials*

4. Shri L. S. Chandrakant, Joint Educational Adviser (T), Ministry of Education & Youth Services, New Delhi.

5. Shri M. N. Chaudhuri, Joint Commissioner, Ministry of Food, Agriculture and Community Development, (Department of Community Development), New Delhi.

6. Shri S. K. Mukherji, Deputy Agricultural Commissioner (Education), Ministry of Food, Agriculture and Community Development (Department of Agriculture), New Delhi.

7. Dr. B. S. Sehgal, Director, Central Health Education Bureau, Directorate General of Health Services, (Ministry of Health, Family Planning, Works Housing and Urban Development (Department of Health). New Delhi.

8. Shri K. Arunachalam, Vice-Chairman, Khadi and Village Industries Commission, (Ministry of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs, Department of Internal Trade) New Delhi.

(c) *Directors/Representatives of Rural Institutes*

9. Shri J. N. Mishra, Director, Rural Institute, Birouli, District Darbhanga (Bihar).

10. Dr. S. N. Singh, Hony. Director, Balwant Vidyapeeth Rural Institute, Bichpuri (Agra District—Uttar Pradesh).

11. Prof. M. Mujeeb, Vice-Chancellor, Jamia Millia Islamia, New Delhi.

12. Shri Sushil Kumar, Secretary, Governing Body, Kasturba Rural Institute, Rajpura (Punjab).

13. Shri K. N. Srivastava, Director, Vidya Bhawan Rural Institute, Udaipur (Rajasthan).

14. Dr. (Miss) S. Goindi, Principal, Kasturbagram Rural Institute, Indore (Madhya Pradesh).

15. Shri D. J. Hatekar, Principal, Rural Institute, Wardha (Maharashtra).

16. Shri V. Subba Rao, Director, Rural Institute, Amravati (Maharashtra).

17. Shri V. T. Patil, President, Shri Mouni Vidyapeeth, Gargoti, District Kolhapur (Maharashtra).

18. Shri Manubhai Pancholi, Hony. Joint Director, Lok Bharati Rural Institute, Sanosara, District Bhavnagar (Gujarat).

19. Shri K. Ramachandra, Director Incharge, Rural Institute, Hanumanamatti, District Dharwar (Mysore).

20. Shri T. S. Avinashilingam, Hony. Director, Sri Ramakrishna Mission Vidyalaya Rural Institute, Coimbatore District (Tamil Nadu).

21. Shri G. Ramachandran, M.P., Hony. Director, Gandhigram Rural Institute, Gandhigram, Madurai District (Tamil Nadu).

22. Shri A. Sankara Pillai, Director, Rural Institute, Tavanur District Palghat (Kerala).

(d) *Educationists*

23. Dr. K. L. Shrimali, Vice-Chancellor, University of Mysore, Mysore.

24. Shri N. D. Sundaravadivelu, Chief Educational Adviser & Director of Collegiate Education, Government of Tamil Nadu, Madras.

25. Dr. (Miss) Durga Deulkar, Director, Lady Irwin College, New Delhi.

26. Dr. S. R. Barooah, Vice-Chancellor, Assam Agricultural University, Jorhat (Assam).

(e) *Representative of the University Grants Commission*

27. Prof. M. N. Srinivas, Head of the Department of Sociology, University of Delhi, Delhi.

(f) *Representative of the Inter-University Board of India*

28. Dr. A. S. Adke, Vice-Chancellor, Karnatak University, Dharwar (Mysore).

(g) *Two representatives of the Agricultural Universities*

29. Dr. M. S. Randhawa, Vice-Chancellor, Punjab Agricultural University, Ludhiana (Punjab).

30. Dr. K. C. Naik, Vice-Chancellor, University of Agricultural Science, Bangalore (Mysore).

R. S. CHITKARA, Dy. Educational Adviser

MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER

RESOLUTION

New Delhi, the 11th August 1969

No. EL-II-12(21)/61-*Vol.III*.—In this Ministry's Resolution No. EL-II-12(21)/61, dated the 26th September, 1962 relating to the constitution of the Delhi Thermal Project Control Board, as amended from time to time, the following shall be substituted for para 2 :—

"2. The Board will consisa of the following :—

Chairman

1. Union Deputy Minister for Irrigation and Power.

Members

2. Executive Councillor (in-charge of electricity), Metropolitan Council, Delhi Administration.

3. Joint Secretary, Ministry of Finance, (Department of Expenditure) or his representative.

4. Chairman, Central Water & Power Commission.

5. Vice-Chairman, Central Water and Power Commission.

6. Director (FEP), Ministry of Irrigation and Power.

7. Chairman, Delhi Electric Supply Committee.

8. General Manager, Delhi Electric Supply Undertaking.

9. Chairman, Haryana State Electricity Board.

10. Secretary, Public Works Department, Government of Haryana.

11. Member (D&R), Central Water and Power Commission.

12. Director General (Road Development), and *ex-officio* Additional Secretary, Ministry of Parliamentary Affairs & Shipping and Transport, (Department of Shipping and Transport.

13. Secretary, (Local Self Government & Public Works Department), Delhi Administration."

ORDER

ORDERED that the Resolution be communicated to the Governments of Punjab and Haryana, the Delhi Administration, the Delhi Municipal Corporation, the Haryana State Electricity Board, the Ministries/Departments of the Government of India, the Prime Minister's Secretary, the Secretary to the President, the Planning Commission and the Comptroller and Auditor General of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India.

K. G. R. IYER, Jt. Secy.

MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION

(Department of Labour and Employment)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 11th August 1969

No. 31/7/68-*LR.IV*.—In the Resolution of the Government of India, in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment), published in the Gazette of India Extraordinary Part I, Section 1, dated the 19th July, 1969 :

read "Instrumentation Limited, Kota" *instead* of National Instruments, Kotah *against* the name Brig. B. J. Shahaney.

P. C. MISRA, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1969.